न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2014/00338 (69/2014) 225 आरटीएक्ट

1 सहीराम पुत्र मोहना जाति मेघवाल (चमार) साकिन चक 34 एसटीजी तहसील पीलीबगा।

2 मुशीराम पुत्र मोहना जाति मेघवाल (चमार) साकन चक 34 एसटीजी तहसील पीलीबगा। (फौत)

2/1 लीलादेवी पत्नी मुशीराम
2/2 सतपाल पुत्र मुशीराम
2/3 प्रेमकुमार पुत्र मुंशीराम
2/4 रामकुमार पुत्र मुंशीराम
2/5 सरोज पुत्री मुंशीराम

} जाति मेघवाल (चमार) साकिन चक 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरप्रेमेसिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (फौत)

1/1 गुरमीत कौर पत्नी गुरप्रेमसिह
1/2 विरेन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरप्रेमसिंह
1/3 लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरप्रेमसिंह
1/4 कर्मजीत कौर पुत्री गुरप्रेमसिंह
1/5 सर्वजीत कौर पुत्री गुरप्रेम सिंह

} जाति जटसिख निवासी चक 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2. नरेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह
3. ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–तरतीबी/रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.04.2014 सहायक कलक्टर, पीलीबंगा प्रकरण संख्या 18/2012 बअनवानी सहीराम बनाम गुरप्रेमसिंह

श्री औमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री वतनदीप सिंह मान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1/1 से 1/3

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक:– 05.04.2021

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि वादीगण के पिता की चक 11 एसटीबी प. नं. 2/339 मु0 नं0 21 किला नं. 1 ता 25 कुल 25 बीघा भूमि पुख्ता अलॉटशुदा भूमि थी। वादीगण अनुसूचित जाति के कमजोर व्यक्ति हैं एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 स्वर्णजाती के पक्षकार हैं। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने इस चक की किला नं. 6/1.00, 7/.10, 8/.10 7, 8, 9 ता 25 की कुल 19 बीघा भूमि पर 3 वर्ष पूर्व नाजायज कब्जा कर लिया है प्रतिवादीगण ट्रैसपासर हैं जिन्हें उपरोक्त भूमि पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। वे प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज फसल उठा रहे है तथा प्रार्थीगण को अपनी भूमि से बेदखल कर दिया और फसल उठाने से वंचित कर दिया है। अप्रार्थीगण भूमि को खुर्दबुर्द करने उत्पादन क्षमता नष्ट करने पर उतारू है तथा भूमि अन्य व्यक्ति को रहन बैय करने पर उतारू है। प्रार्थीगण ने स्वयं को अनुसूचित जाति के एवं अप्रार्थीगण को स्वर्ण जाति का बताया और प्रश्नगत भूम पर रिसीवर नियुक्त करने एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी करने एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन के आधार पर भूमि को रहन बैय नही करने का अनुतोष मांगा।

2. अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रार्थना–पत्र निराधार तथ्यों पर पेश होने पर अस्वीकार है। प्रार्थी की जाति प्रार्थना–पत्र में मेघवाल अंकित की है जबकि वास्तविक जाति भाट है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत नही आती है। प्रार्थी की जाति मेघवाल अंकित कर मिथ्या कथन किये हैं। प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.02.2012 को एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया था और अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2014 को मूल वाद में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार होने के कारण मूल वाद प्रार्थीगण खारिज होने के कारण प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं होना मानते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने के लिए पेश किया था। तनकीयात बनाये बिना ही साक्ष्य लिये बिना ही प्रतिवादीगण के प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर वादीगण का दावा गलत व विधि विरूद्ध रूप से खारिज कर दिया मूल वाद खारिज करने के साथ प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटी खारिज कर दिया जो गलत व विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट अनुसूचित जाति मेघवाल जाति का सदस्य है। रेस्पो [illegible] जाति के सदस्य है जो अपीलाण्ट की भूमि पर काबिज नहीं रह स[illegible] है [illegible] भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना अतिआवश्यक है। अपी[illegible] द्वारा रेस्पो[illegible] पक्ष में कोई बैयनामा नहीं करवाया गया है। यदि कोई बैयनामा [illegible] फर्जी एवं प्रारम्भ से ही शून्य है ऐसे शून्य दस्तावेज को निरस्त करवा[illegible] की आवश्यकता नही है। मूल वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:27 IST
Reason: SelfAttested

Lono
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

की अपील स्वीकार होने पर यह अपील भी स्वीकार किये जाने योग्य है। इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद का निस्तारण हो चुका है इसलिए यह प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी की जाति प्रार्थना–पत्र में मेघवाल अंकित की है जबकि वास्तविक जाति भाट है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत नही आती है। प्रार्थी की जाति मेघवाल अंकितन कर मिथ्या कथन किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट/वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध धरा 88 एवं 183 आरटीएक्ट के अन्तर्गत वाद पेश किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के में अंकित तथ्यों के आधार पर खारिज किया है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2014/00338 सहीराम आदि बनाम गुरप्रेम सिंह आदि को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलाण्ट ने मूल वाद के साथ 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया था जो इस आधार पर खारिज किया गया था कि मूल वाद खारिज हो चुका है इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट चलने योग्य नहीं है। चूंकि मूल वाद के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया है। मूल वाद में हक अधिकारों का निर्धारण होना है । अतः उभयपक्ष के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए यह अपील भी स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की जानी उचित है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.04.2014 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम होकर अभिलेखागार हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.4.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:27 IST
Reason: SelfAttested

5/4/21

(करतार सिंह पूनियॉ आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner